

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700599/2016 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 23.09.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

### बनाम

1—सिरनाम सिंह पुत्र रामकिशन जाटव, आयु—40 वर्ष,  
निवासी—झोरे का पुरा, थाना गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

( आरोप अंतर्गत धारा 327, 506 भाग 2 भा0दं0सं0 )

( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार )

( आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री बी. एस. यादव )

### निर्णय

( आज दिनांक— 06.02.2018 को घोषित )

1. आरोपी पर दिनांक 17.06.16 को दिन के दस बजे झोरे का पुरा स्कूल के पास ग्राम झोरे का पुरा, गोहद में फरियादी उदय सिंह जाटव से शराब पीने के लिये 200/-रुपये की मांग करने एवं मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादी उदय सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं उसी समय फरियादी उदय सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने हेतु भा द स. की धारा 327 एवं 506 भाग 2 के अंतर्गत आरोप है।
2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी उदय सिंह शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम झोरे का पुरा में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 17.06.16 को वह अपने घर से विद्यालय ड्यूटी पर जा रहा था, तभी स्कूल के पास आरोपी सिरनाम लाठी लिये हुये मिला था। आरोपी ने उससे शराब पीने के लिये 200/-रुपये मांगे थे उसने आरोपी को पैसे देने से मना किया था तो आरोपी उसकी लाठी से मारपीट करने को आमादा हो गया था। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मौके पर पतौसी पुरा गाँव के लोग थे, जिन्होंने घटना देखी थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में

की गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप. क्र. [153/16](#) पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
4. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान फरियादी उदय सिंह द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा द स. की धारा 506 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा द स. की धारा 327 के अंतर्गत विचारण शेष है।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निदोष है एवं उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-
  1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.06.16 को दिन के दस बजे झोरे का पुरा स्कूल के पास ग्राम झोरे का पुरा, गोहद में फरियादी उदय सिंह से शराब पीने के लिये 200/-रुपये की मांग की एवं मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादी उदय सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मेघ सिंह अ.सा. 1, राकेश सिंह अ.सा. 2 एवं फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण  
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी उदय सिंह अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग देढ़ साल पहले की सुबह 10-10.30 बजे की है। झोरे के पुरा के पास उसका स्कूल है, वहीं पर उसका सिरनाम से मुंहवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद में की थी जो प्र पी 02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका प्र पी 3 है जिसके ए से ए भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को सिरनाम ने उससे शराब पीने के लिये 200/-रुपये मांगे थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब उसने रुपये देने से इंकार किया तो आरोपी ने उसके साथ धक्कामुक्की की थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस

सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा रुपये मांगने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र पी 2 एवं पुलिस कथन प्र पी 4 में पुलिस को बतायी थी।

9. साक्षी मेघ सिंह अ.सा. 1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 17.06.16 को अपनी ड्यूटी पर अपने गाँव से थाना गोहद चौराहा जा रहा था तभी झोरे के पुरा के पास सिरनाम ने उदय सिंह से शराब पीने के लिये 200/-रुपये मांगे थे। आरोपी ने उदय सिंह से कहा था कि तुम स्कूल में तभी पढ़ा पाओगे, जब पैसे दोगे। जब उदय सिंह ने पैसे देने से मना किया था तो सिरनाम ने धक्कामुक्की कर दी थी, फिर उसने व राकेश ने बीचबचाव कराया था।
10. साक्षी राकेश सिंह अ.सा.2 ने अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी ना होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी सिरनाम ने उसके सामने शराब पीने के लिये 200/-रुपये मांगे थे एवं ना देने पर सिरनाम ने उदय सिंह की मारपीट की थी।
11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
12. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसका आरोपी से मुंहवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद में की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी सिरनाम ने उससे शराब पीने के लिये 200/-रुपये मांगे थे एवं न देने पर आरोपी ने उसके साथ धक्कामुक्की की थी। इस प्रकार फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 ने अपने कथन में मात्र आरोपी से मुंहवाद होना बताया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट की थी।
13. साक्षी राकेश सिंह अ.सा. 2 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।
14. जहाँ तक साक्षी मेघसिंह अ.सा. 1 के कथन का प्रश्न है, तो साक्षी मेघ सिंह अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसके सामने आरोपी सिरनाम ने उदय सिंह से शराब पीने के लिये 200/-मांगे थे, एवं न देने पर सिरनाम ने उदय सिंह की धक्कामुक्की कर दी थी, परंतु यह बात स्वयं फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 द्वारा नहीं बतायी गयी है। फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी ने उससे शराब पीने के लिये 200/-रुपये मांगे थे एवं ना देने पर उसकी धक्कामुक्की की थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर मेघ सिंह अ.सा. 1 के कथन, फरियादी अ.सा. 3 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि स्वयं फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने उससे शराब पीने के लिये 200/-रुपये मांगे थे उक्त बिन्दु पर साक्षी मेघसिंह अ.सा. 1 के कथनो पर विश्वास नहीं किया जा सकता है एवं साक्षी मेघसिंह

अ.सा. 1 के कथन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने फरियादी से सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट की थी।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 एवं राकेश सिंह अ.सा. 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। स्वयं फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 ने आरोपी द्वारा सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट किये जाने के तथ्य से इंकार किया है। मेघ सिंह अ.सा. 1 के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जब स्वयं फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने उससे शराब पीने के लिये 200/-रूपये मांगे थे तथा ना देने पर उसके साथ धक्कामुक्की की थी आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकत है।
16. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी उदय सिंह अ.सा. 3 एवं साक्षी राकेश अ.सा. 2 द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। मेघ सिंह अ.सा. 1 के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी उदय सिंह से सम्पत्ति उददापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
17. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 17.06.16 को दिन के दस बजे झोरे का पुरा स्कूल के पास ग्राम झोरे का पुरा गोहद में फरियादी उदय सिंह जाटव से शराब पीने के लिये 200/-रूपये की मांग की एवं मांग की पूर्ति ना होने पर उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी सिरनाम सिंह को भा0द0सं0 की धारा 327 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
19. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
20. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान- गोहद

दिनांक :- 06.02.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)